

Speed post /त्रिव डाक
Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines,
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/18/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 27/11/2024

प्रेषित: खान एजेंट,
रास-II चूना पत्थर खान,
मेसर्स अंबूजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट राबरियावास
तहसील जैतारण, जिला ब्यावर(राजस्थान),

(e-mail: satish.audichya@adani.com, mayurkumar.galoriya@adani.com)

विषय: राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले में स्थित आपकी रास-II चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालय के डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 24.10.2024 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
45(7)	<p>On examination of Annual Return for the year 2023-24 following discrepancies have been observed:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Part I(3) The uploaded KMZ file is not correct. The required information is not properly shown. (ii) Part III(1)(iii) Electricity: The unit of electricity consumed & generated is given same but their values differs? (iii) Part V(2) Reserves & Resources Estimated: In place of ROM quantity, the quantity of saleable/ usable mineral has been depleted. (iv) Part V(4) Overburden and waste: Quantity at beginning of the year & Total at the end of the year is given as Zero. (v) Part VI (2) Production and stocks of ROM ore at Mine-head: In place of ROM the quantity of saleable/usable limestone has been given. (vi) Part VII: In the last table the production proposal for financial year 2023 – 2024 is given as zero.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।
05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा ।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक